

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद
(अरविन्द कुमार पोसवाल, आई०ए०एस०, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थना पत्र ३जी (५) संख्या: ०२/२०१६
दायर दिनांक: ०२.०२.२०१६
आदेश दिनांक ०५.०३.२०२०

—:अनवान:—

1. श्री शिवसिंह पिता धुलसिंह राजपूत निवासी पड़ासली तहसील व जिला राजसमन्द
2. श्री अमरसिंह पिता धुलसिंह राजपूत निवासी पड़ासली तहसील व जिला राजसमन्द
3. देवाबाई पिता धुलसिंह राजपूत निवासी पड़ासली तहसील व जिला राजसमन्द
4. भूरीबाई पत्नी धुलसिंह राजपूत निवासी पड़ासली तहसील व जिला राजसमन्द
5. श्री मोड़सिंह पिता किशोरसिंह राजपूत निवासी पड़ासली तहसील व जिला राजसमन्द
6. कमलाबाई पिता किशोरसिंह राजपूत निवासी पड़ासली तहसील व जिला राजसमन्द
7. सोसरबाई पिता किशोरसिंह राजपूत निवासी पड़ासली तहसील व जिला राजसमन्द

प्रार्थीगण

—: बनाम :-

1. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द तहसील व जिला राजसमन्द
2. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये प्रोजेक्ट मेनेजर पंचवटी उदयपुर
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमन्द जिला राजसमन्द

विपक्षीगण

क्लेम आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा ३ छ उपधारा ५ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम १९९७

पत्रावली नम्बर ५५७/०७-०३-२०१३/२०१४

प्रकरण संख्या शुन्य एवार्ड क्रमांक १०,१७,२२ एवार्ड दिनांक ०५.०६.२०१४

उपस्थित:—

- १- श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता प्रार्थीगण
- २- श्री गिरिश तिवारी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या ०१
- ३- श्री प्रदीप पुरोहित अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या ०२
- ४- श्री कैलाश बोल्या, राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या ०३

AM



प्रार्थी की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत सक्षम अधिकारी, भू अवाप्ति अधिकारी, राजसमन्द द्वारा प्रार्थी की ग्राम मांडावाडा तहसील व जिला राजसमन्द में स्थित आराजी नम्बर 06, 07 व 12 मे से कुल 1866 वर्गमीटर भूमि को अवाप्त किया गया है। लेकिन उक्त अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा मात्र 1,75,404/-रूपया ही तय किया गया है जो विधि विरुद्ध होकर मनमकसूद तरीके से तय किया गया है। प्रार्थीगण की भूमि के पास जो लगती हुई भूमिया स्थित है वह भूमि वाणिज्यिक या आवासीय रूपान्तरण करवायी गयी है जो सक्षम अधिकारी भू-रूपान्तरण द्वारा रूपान्तरण कर रूपान्तरण के पट्टे जारी किये गये यह भूमि राजस्व ग्राम मांडावाडा मे ही आराजी स्थित होकर उक्त भूमि को सक्षम अधिकारी द्वारा रूपान्तरण किया गया है। वह 1000/-प्रतिवर्गमीटर की दर से विक्रय की गयी है। प्रार्थीगण की भूमि के पास ही मुख्य सड़क उदयपुर रोड स्थित है उक्तानुसार मुआवजा अदा नहीं किया गया है। मात्र 94/- प्रति वर्गमीटर की दर से मुआवजा अदा किया गया है। उक्त भूमि का मुआवजा 11 गुणा वृद्धि योग्य है जो नहीं किया गया है। इस प्रकार पंजीयन दर के अनुसार मुआवजा राशि मात्र 1,75,404/-रूपये ही तय की गयी है। जो मनमकसूद तरीके से तय की गयी है। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 12.03.2014 को आपत्ति पेश करने के उपरान्त भी उस आपत्ति पर कोई मनन विचार नहीं किया गया। उक्त भूमि खरीदशुदा होकर उसके व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त जगह थी लेकिन प्रार्थीगण इस पर अपना व्यवसाय स्थापित नहीं कर सके जिससे जीवनपर्यन्त उक्त भूमि की नियमित आय से वंचित रहे है। उक्त भूमि की राशि पर कब्जा प्राप्त करने की दिनांक से 15 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज दिलाया जावे भूमि पर कब्जा मार्च 2013 से प्राप्त कर लिया है। मुआवजा देरी से अदा किया है। तथा मौके पर पक्की बाउण्ड्री बनी हुई थी जिससे अवैध रूप से गिरा दिया गया है। जिससे यह प्रमाणित होता है कि मुआवजा राशि का निर्धारण अपने मनमकसूद तरीके से किया गया है। इस हेतु यह याचिका प्रस्तुत की गयी।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राजसमन्द से एवार्ड पत्रावली तलब की गई।

विपक्षी संख्या 01 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर अवाप्ति संबंधी सभी कार्यवाहिया विधिवत की गयी है। तथा विपक्षीगण को नियमानुसार मुआवजा रूपये 1,75,404/- विधिवत निर्धारित डी.एल.सी. दर से किया है। उक्त भूमियां प्रार्थी के आवासीय रूप मे अंकित होकर उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में अंकित है जिससे राजस्व अभिलेख में अंकन अनुसार इनके नाम पर अवार्ड जारी किया है ग्राम मांडावाडा की आबादी जो सडक के पास है कि, 21.04.2012 की प्रचलित दर 1,51,800/-रु0 प्रतिबीघा अर्थात 94/-रूपये प्रति वर्गमीटर है जो उप पंजीयक राजसमन्द ने बताया है प्रार्थी अपने मनमकसूद तरीके से मुआवजा प्राप्त करना चाह रहा है। जो अनुचित है। प्रार्थी वर्ष 2014 की प्रचलित दर से मुआवजा प्राप्त करना चाहता है जिसका वह अधिकारी नहीं है। विपक्षी ने 3ए की अधिसूचना के दौरान तहसीलदार/उप पंजीयक कार्यालय से प्राप्त तत्समय प्रचलित डी0एल0सी0 दर से नियमानुसार अवार्ड जारी किया है अवार्ड की कार्यवाही नियमानुसार की जाकर



M

विधिवत की गयी है। विपक्षी ने मुल्यांकन प्रतिवेदन एवं डी0एल0सी0 दर के अनुसार कब्जा प्राप्ति के तुरन्त पश्चात भुगतान हेतु अवार्ड जारी कर दिया है अतः प्रार्थी को अब कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं है। और भूमि अवाप्ति की सारी कार्यवाही विधिवत एवं नियमानुसार की गयी है। विपक्षी ने दिनांक 08.10.2013 को सार्वजनिक सूचना द्वारा क्लेम/दावें आमंत्रित किये गये थे यह सूचना दिनांक 19.10.2013 को समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुकी है। उसके बावजूद प्रार्थीगण ने सप्रमाण निर्धारित 21 दिवस में कोई क्लेम पेश नहीं किया है। अतः यह प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं है।

विपक्षी संख्या 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आमजन के हितार्थ चारलेन सडक निर्माण किया जाकर उपरोक्त भूमि की आवश्यकता होने से भूमि अवाप्ति की कार्यवाही अवाप्ति अधिनियम के तहत की जाकर राजस्व रेकार्ड में अंकित खातेदारों के विरुद्ध नियमानुसार अवार्ड जारी किया गया है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं अवार्ड पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा मात्र 94/-प्रति वर्गमीटर की दर से तय किया गया है जबकि उक्त भूमि 1000/-प्रति वर्गमीटर की बाजार दर है उक्त मुआवजा राशि पर ब्याज व क्षतिपूर्ति राशि अदा नहीं की है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद धारा 151 का प्रार्थना पत्र पेश कर RFCTLARR,ACT 2013 के प्रावधानों के तहत मुआवजा दिलाने के लिये निवेदन किया है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मानसिंह बनाम भारत संघ के मामले में RFCTLARR,ACT 2013 के प्रावधानों के तहत मुआवजा देने के निर्देश दिये गये हैं। विपक्षी द्वारा जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा अपनी अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में अभी तक कोई क्लेम पेश नहीं किये हैं। प्रार्थी पहले अपना क्लेम पेश करे तभी उसे मुआवजा राशि का भुगतान किया जा सकता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ही प्री मेच्योर है। तथा RFCTLARR,ACT 2013 के प्रावधान अक्षरतः लागू नहीं होता है। प्रथम अनुसूची के अनुसार कार्यवाही विचाराधीन है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्री मेच्योर होने से खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्षकारान की बहस पर गहन मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का भी अवलोकन किया तथा अवार्ड पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। उक्त भूमि विपक्षी नेशनल हाईवे प्राधिकरण द्वारा फोरलेन रोड़ हेतु अवाप्ति की गयी है। जिसका मुआवजा विपक्षी द्वारा निर्धारित डी.एल.सी. दर से किया गया है। जो पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से नियमानुसार निर्धारण किया जाना प्रमाणित होता है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा प्रार्थी को मुआवजा निर्धारित करने में किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख अनुसार प्रमाणित नहीं होता है।

प्रार्थी द्वारा मुआवजा बढ़ाने हेतु दूसरा आधार RFCTLARR, ACT 2013 के प्रावधानों का लिया गया है, जिसके तहत प्रार्थी ने तोषण राशि की मांग की है, जिसका जवाब विपक्षी द्वारा प्रस्तुत करते हुए न्यायालय में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रार्थी के मामले में कोई क्लेम पेश नहीं किया है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा RFCTLARR,ACT 2013 के प्रावधानों के तहत मुआवजा राशि की मांग सीधे ही इस प्रार्थनापत्र के जरिये की गई है। विपक्षी ने अपने जवाब में यह स्वीकार किया है कि प्रार्थी को RFCTLARR,ACT 2013 के तहत कार्यवाही तभी प्रस्तावित की जायेगी जब प्रार्थी अपना क्लेम सप्रमाण विपक्षी संख्या 01 के यहाँ पेश करेगा। अतः यह मामला




11

प्रार्थी का प्री मेच्योर है। इसलिये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया उक्त प्रार्थनापत्र प्री मेच्योर होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

::आदेशः


अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र प्री मेच्योर होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है तथा विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि RFCTLARR,ACT 2013 के अनुसार प्रार्थी द्वारा नियमानुसार क्लेम एवं दस्तावेज पेश करने पर प्रार्थी को नियमानुसार देय मुआवजा राशि अतिशीघ्र भुगतान की जावे।

आदेश की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली सक्षम प्राधिकारी अधिकारी भू अवाप्ति/अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को लौटायी जावे।


(अरविन्द कुमार पोसवाल)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमंद

आदेश आज दिनांक: 05.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(अरविन्द कुमार पोसवाल)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमंद